राजस्थान–सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान,

"पंजीयन–भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ–7(39)जन/बजट 2021–22/3331 – 3924 दिनांक : 17/3/2021

समस्त उप महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान।

समस्त उप पंजीयक,
(पूर्ण कालीन एवं पदेन)
राजस्थान।

विषय – चार तलों से अधिक के बहुमंजिला भवन में फ्लैट या आवासीय ईकाई के विक्रय विलेख पर दी गई छूट के सन्दर्भ में स्पष्टीकरण।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य अधिसूचना क्रमांक प.4(2)वित्त/कर/2021–277 दिनांक 24.02.2021 द्वारा चार तलों से अधिक के बहुमंजिला भवन में फ्लैट या आवासीय ईकाई जिसका बाजार मूल्य पचास लाख से अधिक नहीं है पर स्टाम्प ड्यूटी में दिनांक 30.06.2021 तक छूट दी गई है।

इस संबंध में उप पंजीयक कार्यालयों द्वारा दूरभाष पर स्पष्टीकरण चाहा गया है कि तहखाना (Basement) एवं भूतल(Ground Floor) पर पार्किंग (Stilt Parking) होने पर तलों की गणना में सम्मिलित होगी अथवा नहीं? इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि बेसमेन्ट एवं भू–तल पर पार्किंग को तलों की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(ओंकार मल) 17.3.21
अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रशासन),
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः एफ–7(39)जन/बजट 2021–22/3925 – 3929 दिनांक : 17/3/2021

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, वित्त(कर) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रशासन), पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहाकार, मुख्यालय, अजमेर।
4. संयुक्त विधि परामर्शी, विधि शाखा, मुख्यालय, अजमेर।
5. संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर शाखा, मुख्यालय, अजमेर को भेजकर लेख है कि पत्र की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

17.3.21
अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रशासन),